

राजस्थान सरकार  
कौशल, रोजगार, उद्यमिता, श्रम, कारखाना एवं बायलर्स विभाग


कमांक: F1(13)PS/CIFB/14

दिनांक: 14.01.2016

आदेश


कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा दिनांक 18.01.2016 से पंजीकरण, नवीनीकरण तथा नक्शे अनुमोदन के कार्यों को RajFAB Web Application के माध्यम से निम्नानुसार पूर्णतया On Line ही किया जावेगा—

- a. कारखाना लाइसेंस के नवीनीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2016 होने के कारण कारखाना प्रबंधकों द्वारा डाक अथवा पत्र वाहक के साथ (ऑफ लाइन) कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विभाग द्वारा आवेदन दिनांक 31.03.2016 तक स्वीकार किए जा सकें तथा उनको RajFAB Web Application पर उपलब्ध सम्बन्धित On Line प्रपत्रों में विभाग द्वारा इन्द्राज कर On Line ही कार्यवाही की जावेगी।
- b. दिनांक 01.04.2016 से पंजीकरण, नवीनीकरण तथा नक्शे अनुमोदन के कार्यों हेतु आवेदन RajFAB Web Application पर ही On Line ही स्वीकार किए जायें एवं कारखाना प्रबंधकों द्वारा डाक अथवा पत्र वाहक के साथ (ऑफ लाइन) कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार नहीं किए जायें।

  
(रमेश चन्द्र दीक्षित)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, श्रम, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर
- (2) निजि सचिव, शासन सचिव, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, श्रम, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर
- (3) मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

  
शासन सहायक सचिव